...यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 36/2025

निर्णय दिनांक :– 04.07.2025

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. भानू चौहान पुत्र कन्हैयालाल जाति धोबी निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. राजेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र लालचंद वर्मा जाति रेगर निवासी ज्योति कॉलोनी, ऊँचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. रोहिताश्व ठागरिया पुत्र कैलाश चन्द वर्मा जाति रेगर निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक. (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
श्री सागर चौहान
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता नम्बर 542 खसरा नम्बर 4464/149 रकबा 0.24 है, कुल किता 1 कुल रकबा 0.24 है0 वाके तनग्राम पनवाड़ पटवार हल्का पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि से पहले आराजी खसरा नम्बर 163 किश्म गै.मु.सड़क व 164 किश्म गै. मु.सड़क एवं अप्रार्थी की सरकारी जमीन खसरा नामबर 4344/162 वाके ग्राम पनवाड पटवार हल्का पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, से प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 4464/149 में आते–जाते है। प्रार्थीगण काफी समय से उक्त वर्णित भूमि आराजीयात में आने–जाने व काश्तकारी कार्य करने हेतु खसरा नम्बर 4344/162 की भूमि में बने हुए कदीमी रास्ते से अपनी उक्त वर्णित खातेदार की भूमि में आते–जाते रहे है तथा काश्तकारी कार्य करते रहे है जो आज भी मौके पर काबिल–काश्त नहीं है और रास्ते के रूप में उपयोग–उपभोग हो रही है। हाल ही में अनेक प्रभावशाली व्यक्तियो ने प्रार्थीगण के रास्ते की भूमि में जबरन कब्जा करने की नियत से कांटो की बाड़ लगाकर कब्जा कर लिया है और रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी की भूमि में आने–जाने व काश्तकारी

4.7.2025

कार्य करने हेतु विधिवत् रूप से रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है। इस कारण प्रार्थीगण को उक्त भूमि में से रास्ता दिलवाना आवश्यक है। यदि प्रार्थीगण को उक्त भूमि में से रास्ता नहीं दिलवाया गया तो प्रार्थीगण अपनी भूमि में काश्त नहीं कर पायेगा तथा प्रार्थीगण व इनके परिवारजन भूखे मर जायेगें।अप्रार्थी लेण्ड हॉल्डर होने प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी की आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

अप्रार्थी तहसीलदार की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है:- प्रार्थी आराजी पर पहुंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है।प्रस्तावित रास्ते की लंबाई चौडाई निम्न प्रकार है-

क्र.स.	खसरा नम्बर	लंबाई (मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1	4344/162	8	9.14	0.0073

प्रस्तावित रास्ता चाहे जाने वाली कृषि भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 5471000/- प्रति0 है0 है जिसकी एक गुणा कुल राशि 39940 व दुगुनी 79,880 रूपये होगी। प्रस्तावित रास्ता एन0एच0 52 से लगा हुआ है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि सिवायचक असिंचित है। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी खसरा नम्बर 4344/162 रकबा 0.5233 किस्म बंजड़ में से रास्ता चाहता है जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है।प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना इत्यादि नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता सिवायचक भूमि में से है जिसके सम्बंध माननीय न्यायालय द्वारा रास्ता दिये जाने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को कोई आपत्ति नही है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, और डीएलसी की प्रति संलग्न कर रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

4.7.2025

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपति नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार देवली ने जवाब व रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली की रिपोर्ट में प्रार्थी की आराजी 4464/149 में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि राजकीय भूमि सिवायचक है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 02.07.2025 में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार ग्राम पनवाड़ पटवार हल्का पनवाड. के ख. नं. 4464/149 रकबा 0.24 है0 में कृषि कार्य हेतु पहुंच मार्ग हेतु ख. नं. 4344/162 रकबा 0.5233 है0 में से 9.14 मीटर चौड़ाई व 8 मीटर लम्बाई कुल क्षैत्रफल 0.0073 है0 वर्ग मीटर के लिए डी. एल. सी दर 5471000/- प्रति है0 के अनुसार क्षैत्रफल 0.0073 है0 वर्ग मीटर के लिए एक गुना राशि 39940/- रूपये व दुगनी राशि 79880/-रूपये प्रतिकर राशि जमा कर अथवा पुनः वर्तमान में प्रचलित डीएलसी की दुगनी दर से गणना कर राशि जमा राजकोष कर, राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ते के रूप में अमल दरामद कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करे। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 04.07.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली